

प्रमाण-पत्र  
CERTIFICATE

40. वीरता पेंशनभोगियों के परिवारों के लिए पहचान प्रमाण-पत्र ।  
इसमें ये बात होनी चाहिए :-  
Identity certificate for the families of Service pensioners: it should include the following :

- (क) पेंशनभोगी तथा उसकी पत्नी का संयुक्त फोटो  
(a) Joint photograph of pensioner and wife



Commander  
Officer-in-Charge  
Release Centre  
20

(ख) नं० रैंक तथा नाम  
(b) No. Rank & Name

203336B

CHIEF ERA

HARDYAL SINGH

(ग) यूनिट/पोत/स्थापना जिसमें अंत में कार्य किया  
(c) Unit/Ship/Establishment in which last served.

INS ANGRE / CRIU (IS)